

राजस्थान सरकार
आयोजना (बीस सूत्री कार्यक्रम) विभाग

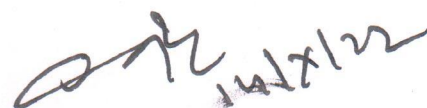
क्रमांक: प.1(4)आयो/बीसूका/जि. स्त. कमेटी/2022

जयपुर, दिनांक: 14.10.2022

आज्ञा

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग की आज्ञा क्रमांक प.7(20)प्र.सु./अनु.3/82, दिनांक 02.03.1994 के अनुसरण में राज्यपाल महोदय बीस सूत्री कार्यक्रम के आयोजन, क्रियान्वयन एवं समन्वय हेतु जिला भीलवाडा के लिए जिला स्तर पर प्रथम स्तरीय समिति के गठन की निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1.	श्री महेश जोशी	मंत्री	अध्यक्ष (प्रभारी मंत्री)
2.	श्री सतीश जोशी, होडा, तह. माण्डलगढ, भीलवाडा	प्रधान, पं.स. माण्डलगढ	सदस्य
3.	श्री शिवसिंह बाड़ी	प्रधान, पं.स. रायपुर	सदस्य
4.	श्री कृष्णा सिंह	प्रधान, पं.स. हुरड़ा	सदस्य
5.	श्रीमती सुशीला सालवी (पूर्व जिला प्रमुख, करेडा, भीलवाडा)		सदस्य
6.	श्रीमती घीसी देवी भील (पूर्व प्रधान, पं.स. हुरड़ा)		सदस्य
7.	श्रीमती मंजू पोखरणा, शास्त्रीनगर, भीलवाडा		सदस्य
8.	श्री प्रकाशचन्द्र जाट		सदस्य
9.	श्री भंवर खां कायमखानी पुत्र श्री धन्ने खां कायमखानी, भीमपुरा (सरदार नगर), तह. बनेडा, भीलवाडा		सदस्य
10.	श्री कैलाश व्यास पुत्र स्व. श्री रमेश चन्द्र व्यास, नगर विकास न्यास के पास, सुभाष नगर, भीलवाडा		सदस्य
11.	श्री चेतन डिडवानियां, गंगापुर, भीलवाडा		सदस्य
12.	श्री रामपाल शर्मा पुत्र श्री बालूराम शर्मा, 1-एल-1, आर. सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाडा		सदस्य
13.	श्री नानूराम कुमावत, आसीन्द, भीलवाडा (पूर्व विधायक-आसीन्द)		सदस्य
14.	श्री हंगामीलाल, मेवाडा, पूर्व विधायक		सदस्य
15.	श्री विवेक धाकड़, सुभाष नगर, भीलवाडा (पूर्व विधायक माण्डलगढ)		सदस्य
16.	श्री दुर्गेश शर्मा, 223, काशीपुरी, भीलवाडा		सदस्य
17.	श्री ओमप्रकाश नाराणीवाल, भीलवाडा		सदस्य



18.	श्री चेतन पेशवानी, गुलाबपुरा	सदस्य
19.	श्री नीरज गुर्जर पुत्र उदयलाल गुर्जर	सदस्य
20.	श्री किशनलाल जाट, अध्यक्ष, युवा कांग्रेस	सदस्य
21.	श्री अनिल व्यास पुत्र श्री महेश व्यास गांधीपुरी, शाहपुरा, भीलवाडा	सदस्य
22.	श्री गजराज सिंह राणावत, सांगरिया, शाहपुरा	सदस्य
23.	श्रीमती वंदना माथुर पत्नी श्री विष्णु माथुर, महिला आश्रम, भीलवाडा	सदस्य
24.	संबंधित विभागों के प्रभारी अधिकारी	सदस्य
25.	जिला प्रमुख	सदस्य
26.	अध्यक्ष, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद् एवं प्रशासक	सदस्य
27.	अतिरिक्त जिलाधीश (विकास) एवं परियोजना निदेशक	सदस्य
28.	मुख्य अधिशाषी अधिकारी एवं सचिव जिला परिषद	सदस्य
29.	जिला धीश एवं जिला विकास अधिकारी	सदस्य सचिव
30.	मुख्य आयोजना अधिकारी	संयोजक

समिति की बैठक में जिले की पंचायत समितियों के प्रधान आदि, अध्यक्ष द्वारा जब आवश्यकता अनुभव की जावे, आमन्त्रित किये जा सकेंगे। इस समिति का प्रशासनिक विभाग आयोजना (बीसूका) विभाग होगा। यह समिति बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि तक क्रियाशील रहेगी। समिति निम्न प्रकार से कार्य करेगी:-

1. समिति प्रत्येक माह के लिए प्रत्येक सूत्र के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों, उपलब्धियों, कार्यक्रम, प्रक्रियाओं, कठिनाईयों एवं क्रियान्वयन संबंधी विषयों पर विचार-विमर्श करेगी।
2. समिति विभिन्न सूत्रों के अन्तर्गत जन सहयोग के लिए प्रक्रियाओं को तय करने तथा जुटाने की व्यवस्था करेगी।
3. कार्यक्रम में केवल लक्ष्यों की प्राप्ति ही नहीं, अपितु उनके गुणात्मक स्तर को भी देखा जावेगा। प्राप्त उपलब्धियों का समिति सत्यापन कर सकेगी।
4. इस समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से बुलाई जावेगी तथा समिति की दो बैठकों का अन्तराल डेढ़ माह से अधिक नहीं होगा।

इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल अग्रिम आदेशों तक रहेगा।

आज्ञा से,


 15/11/22
 (सी. पी. मण्डावरिया)
 संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान।
4. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, बीस सूत्री कार्यक्रम, राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति, राजस्थान।
5. विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. सचिव, निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
8. अवर सचिव, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली।
9. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जयपुर।
11. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर।
12. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा को भेजकर अनुरोध है कि संबंधित सदस्यों को जारी की गई आज्ञा की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
13. समस्त सदस्य (जिला कलेक्टर के माध्यम से)।
14. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग।
15. विशेषाधिकारी, माननीय उपाध्यक्ष, बीसूका।
16. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग को अ. शा. टीप क्रमांक प. 7(20)प्र.सु. /अनु0-3/82 पार्ट, दिनांक 30.09.2022 के संदर्भ में।
17. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव 3/5/22

नोट:— समिति में प्रस्तावित माननीय सांसदों/विधायकों का मनोनयन माननीय लोकसभा/विधानसभा अध्यक्ष महोदय की अनुमति उपरान्त किया जावेगा।